

प्रेषक,

राम नेवास  
विशेष सचिव,  
उपरोक्त शासन।

सेवा में

निदेशक,  
राज्य नगरीय विकास अभियान,  
उपरोक्त लखनऊ।

नगरीय रोजगार एवं गरीबी  
उन्मूलन कार्यक्रम विभाग।

लखनऊ : दिनांक 05 दिसम्बर, 2017

विषय- चालू वित्तीय वर्ष 2017-18 में अनुदान संख्या-37 में राजीव आवास योजनान्तर्गत जनपद-झांसी की निकाय-झांसी (डिडियापुर) की 01 परियोजना हेतु केन्द्रांश व राज्यांश की द्वितीय किश्त की वित्तीय स्वीकृति।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक भारत सरकार के पत्रांक-एन-11027/34/2016-एचएफए-1(एफटीएस-16509), दिनांक 17 अगस्त, 2017 के आधार पर आपके पत्र संख्या-2647/187/76/एक/आरोड़वाई0/2014-15, दिनांक 06 अक्टूबर, 2017 के संदर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि राजीव आवास योजनान्तर्गत चालू वित्तीय वर्ष 2017-18 में अनुदान संख्या-37 के अन्तर्गत जनपद-झांसी की निकाय-झांसी (डिडियापुर) की 517 आवासों (टाईप-ए के 198 आवास व टाईप-बी के 319 आवास) के सापेक्ष सामान्य वर्ग के लाभार्थियों के 435 आवासों (टाईप-ए के 162 आवास व टाईप-बी के 273 आवास) की 01 परियोजना, जिसकी ₹ 0 2318.31 लाख की प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति शासनादेश संख्या-251/2015/2577/69-1-14-8(आरोड़वाई-37)/2014, दिनांक 14 मार्च, 2015 द्वारा जारी की जा चुकी है, हेतु परियोजना की आवासीय लागत, भौतिक व सामाजिक अवस्थापना सुविधा मदों में केन्द्रांश व राज्यांश के रूप में द्वितीय किश्त (40 प्रतिशत) अर्थात् संलग्न तालिका के स्तम्भ-6 में अंकित कुल धनराशि ₹ 0 867.67 लाख (रुपये आठ करोड़ सरसठ लाख सरसठ हजार मात्र) की, निम्नलिखित शर्तों व प्रतिबन्धों के अधीन श्री राज्यपाल महोदय सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं :-

1. उक्त धनराशि नगरीय रोजगार एवं गरीबी उपशमन मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा राजीव आवास योजनान्तर्गत जारी दिशा-निर्देशों के अनुरूप तथा शासन/प्रायोजना रचना एवं मूल्यांकन प्रभाग/राज्य स्तरीय समन्वय समिति द्वारा निर्धारित शर्तों/प्रतिबन्धों के अधीन उपर्युक्तानुसार निहित मद में व्यय की जायेगी।
2. उक्त धनराशि का उपयोग उसी परियोजना/प्रयोजन के लिये किया जायेगा, जिसके लिए वह स्वीकृत किया जा रहा है। किसी प्रकार का व्यावर्तन अनुमन्य न होगा तथा भारत सरकार द्वारा निर्धारित समय सीमा में परियोजनाएं पूर्ण गुणवत्ता व पारदर्शिता के साथ पूर्ण करायी जायेगी जिससे कास्ट ओवर रन/टाइम ओवर रन की स्थिति उत्पन्न न हो एवं किसी प्रकार का कास्ट एस्केलेशन अनुमन्य न होगा।

मेरी अपील | कामकाज आदि  
कामकाज आदि  
कामकाज आदि

क्रमांक:.....

८२  
५/१८१२

(२१)

3. उक्त धनराशि कोषागार/बैंक के माध्यम से आहरण के पश्चात् राज्य नगरीय विकास अभिकरण व सम्बन्धित इडा द्वारा परियोजना सम्बन्धी सभी परिवारों का सक्षम स्तरीय निराकरण कराकर गुणवत्ता आदि विन्दुओं सहित यथापेक्षित योजना निर्देशों के अनुपालन पर आश्वस्त होकर, तत्काल सम्बन्धित इडा इकाई/उनके माध्यम से निर्माण इकाई को उपलब्ध करा दी जायेगी, जो अपने स्तर पर भी उक्तानुसार सभी पहलुओं पर आश्वस्त हो लेंगे।
4. उक्त परियोजना हेतु स्वीकृति धनराशि को सम्बन्धित इडा तथा उनके माध्यम से निर्माण इकाई को अवमुक्त किये जाने से पूर्व यह सुनिश्चित कर लिया जाय कि पूर्व में स्वीकृत धनराशियों को सम्मिलित करने के उपरान्त समस्त किश्तों की कुल धनराशि परियोजना लागत के सापेक्ष देय/अनुमन्य धनराशि से किसी भी दशा में अधिक नहीं होगी। अनुमन्य धनराशि से अधिक धनराशि के स्वीकृत होने की दशा में उक्त धनराशि को तत्काल राजकोष में जमा कराया जाना सुनिश्चित किया जायेगा।
5. प्रश्नगत कार्य प्रारम्भ करने से पूर्व वित्तीय हस्तपुस्तिका खण्ड-6 के अध्याय-12 के प्रस्तर-318 में वर्णित व्यवस्था के अनुसार प्रायोजना पर सक्षम स्तर से तकनीकी स्वीकृति अवश्य प्राप्त कर ली जायेगी तथा सक्षम स्तर से तकनीकी स्वीकृति प्राप्त होने के पश्चात् ही कार्य प्रारम्भ कराया जायेगा।
6. उक्त धनराशि का आहरण सचिव/निदेशक, राज्य नगरीय विकास अभिकरण, 30प्र0, लखनऊ द्वारा प्रमुख सचिव/विशेष सचिव, नगरीय रोजगार एवं गरीबी उन्मूलन कार्यक्रम विभाग के प्रतिहस्ताक्षरोपरान्त किया जायेगा।
7. प्रत्येक आहरण की सूचना महालेखाकार (राजकोष), महालेखाकार (लेखा), 30प्र0, इलाहाबाद को आदेश की प्रति के साथ कोषागार का नाम, बाऊचर संख्या, तिथि तथा लेखा शीर्षक की सूचना एक वर्ष के भीतर अवश्य उपलब्ध करा दी जायेगी।
8. स्वीकृत धनराशि एकमुश्त आहरित न कर आवश्यकता के अनुसार आहरित कर व्यय की जायेगी तथा आहरित धनराशि बैंक/डाकघर/डिपाजिट खाते व पी0एल0ए0 में नहीं रखी जायेगी। स्वीकृत की जा रही धनराशि का कोषागार से आहरण भारत सरकार द्वारा निर्धारित शर्तों के अनुसार किया जायेगा तथा इसमें भारत सरकार द्वारा निर्धारित शर्तों का अनुपालन भी सुनिश्चित किया जाय। प्रश्नगत आहरण/भुगतान के पूर्व यथानियम केन्द्र व राज्य के करों की स्त्रोत पर कटौती सम्बन्धी अनिवार्य विधिक प्रतिबन्धों के अनुपालन का ध्यान रखा जायेगा।
9. इस धनराशि का उपयोग चालू वित्तीय वर्ष 2017-18 में यथा कलेन्डर अवश्य करा लिया जाय और इसके बाद उपयोगिता प्रमाण-पत्र शासन व भारत सरकार को समय से उपलब्ध कराया जाये। निर्धारित अवधि के बाद अनुपयोगित धनराशि यदि, कोई हो तो एकमुश्त शासन को वापस करनी होगी।
10. निदेशक/सचिव, राज्य नगरीय विकास अभिकरण, 30प्र0, लखनऊ आहरण की वर्षान्त पर अपने लेखों का मिलान महालेखाकार के कार्यालय के लेखे से अवश्य करायेंगे।
11. उक्त स्वीकृत धनराशि आवंटित परिव्यय के अन्तर्गत होने एवं प्रश्नगत परियोजना की द्वैरावृति/पुनरावृति न हो, यह सूडा/इडा द्वारा सुनिश्चित किया जायेगा। सूडा/इडा/कार्यदायी संस्था यह सुनिश्चित किया जायेगा कि स्वीकृत किये जा रहे इस कार्य हेतु पूर्व में राज्य सरकार अथवा किसी अन्य स्रोत से धनराशि स्वीकृति नहीं की गयी है तथा न ही यह कार्य किसी अन्य कार्य योजना में सम्मिलित है।

12. स्वीकृत की जा रही धनराशि का व्यय/उपयोग सम्बन्धित विभाग कार्यदायी संस्था से एमओओय० (अनुबन्ध) निष्पादित कराने के पश्चात सुनिश्चित करें। परियोजना से सम्बन्धित निर्माण इकाई से यथावश्यक अनुबन्ध (एमओओय०) किये जाने हेतु सूडा द्वारा सम्बन्धित इडा को निर्देशित किया जायेगा।
  13. निष्प्रयोज्य होने वाले उपकरणों/सामग्री से प्राप्त धनराशि राजकोष में जमा करना सुनिश्चित किया जायेगा।
  14. स्वीकृति धनराशि का व्यय वित्तीय हस्तपुस्तिका के सुसंगत प्राविधानों/समय-समय पर शासन द्वारा निर्गत शासनादेशों के अनुरूप किया जायेगा और प्रश्नगत धनराशि जिस कार्य/मद में स्वीकृत की जा रही है, उसका व्यय प्रत्येक दशा में उसी कार्य/मद में किया जायेगा सामग्री/उपकरणों का क्रय वित्तीय त्रिमों के अनुसार किया जायेगा।
  15. जिलाधिकारी/अध्यक्ष, इडा कार्य की गुणवत्ता जाँचने के बाद ही धनराशि का भुगतान करें, अन्यथा वे स्वयं जिम्मेदार होंगे।
2. उपर्युक्त व्यय चालू वित्तीय वर्ष 2017-18 के आय-व्ययक में अनुदान संख्या-37 के अन्तर्गत लेखा शीर्षक "4216-आवास पर पूँजीगत परिव्यय-02-शहरी आवास-800-अन्य व्यय-01-केन्द्र प्रायोजित योजनाएं-0101-राजीव आवास योजना-24-वृहत निर्माण कार्य" के नामे डाला जायेगा।
3. यह आदेश वित्त विभाग के कार्यालय जाप संख्या-8/2017/वी-1-1190/दस-2017-231/2017, दिनांक 03.08.2017 तथा समय-समय पर जारी आदेशों के तहत किये जारहे हैं।

भवदीय  
(राम नवास)  
विशेष सचिव।

संख्या-132/2017/1550(1)/69-1-17, तद्विनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित-

1. महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी), प्रथम/द्वितीय, 30प्र०, 20 सरोजनी नायडू मार्ग, इलाहाबाद।
2. महालेखाकार (लेखा परीक्षा), प्रथम/द्वितीय, 30प्र०, इलाहाबाद।
3. निदेशक, स्थानीय निधि लेखा परीक्षा विभाग, 30प्र०, छठवां तल, संगम प्लेस, सिविल लाइन, इलाहाबाद।
4. जिलाधिकारी/अध्यक्ष, जिला नगरीय विकास अभिकरण, झांसी।
5. वित्त संसाधन (केन्द्रीय सहायता) अनुभाग-1, 30प्र० शासन।
6. वित्त (व्यय-नियंत्रण) अनुभाग-8, 30प्र० शासन।
7. नियोजन अनुभाग-4, 30प्र० शासन।
8. मुख्य कोषाधिकारी, जवाहर भवन, लखनऊ।
9. वित्त नियंत्रक, राज्य नगरीय विकास अभिकरण, 30प्र०, लखनऊ।
10. सहायक वेब मास्टर, सूडा को विभागीय वेब साइट पर अपलोड कराने हेतु।
11. गार्ड फाइल/कम्प्यूटर सहायक/बजट समन्वयक।

आज्ञा से,


(अखिलानन्द ब्रह्मचारी)  
अनु सचिव।

शासनादेश संख्या- /2017/1550/69-1-2017-8(आर0ए0वाई0-37)/2014, दिनांक  
दिसम्बर, 2017 का संलग्नक।

(धनराशि लाख रु० में)

क्र०	जनपद/ सं०	सामान्य वर्ग के लाभार्थियों की कुल आवासों की संख्या।	भारत सरकार द्वारा अनुमोदित परियोजना लागत।	पी०एफ०ए०डी०/ ई०एफ०सी० द्वारा अनुमोदित कुल परियोजना लागत।	पी०एफ०ए०डी०/ ई०एफ०सी० द्वारा अनुमोदित कुल परियोजना लागत के सापेक्ष सामान्य वर्ग के लाभार्थियों की कुल परियोजना लागत।	सामान्य वर्ग के लाभार्थियों के आवासों हेतु द्वितीय किशत (40 प्रतिशत) के रूप में (केवल आवासीय लागत, भौतिक व सामाजिक अवस्थापना सुविधा मद में) स्थीरूप की जा रही धनराशि। (केन्द्रांश व राज्यांश)
1	2	3	4	5	6	
1.	झांसी/झांसी 517 आवास (टाईप-ए के 198 आवास व टाईप-बी के 319 आवास)	435 (टाईप-ए के 162आवास व टाईप- बी के 273 आवास)	3204.55	3056.04	2318.31	867.67
	योग					867.67

(रूपये आठ करोड़ सडसठ लाख सडसठ हजार मात्र)।

  
(अखिलानन्द ब्रह्मचारी)  
अनु सचिव।